



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/क.अभि.सहा. अभि./निल बहाल पद./हुचबै/18/34/2

जयपुर, दिनांक :- 26.7.18

आदेश

श्री हुकम चन्द बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता (निलम्बित) मुख्यालय जिला परिषद, उदयपुर, को विभागीय आदेश क्रमांक एफ13 (607)पंरावि/प्रशा.2/ग्रासे/शि.जांच/ निल. बहाल/10/पार्ट-iv/2794 दिनांक 22.6.18 द्वारा निलम्बन से बहाल किये जाने पर पंचायत समिति, धनाउ (बाडमेर) में कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलेक्टर, उदयपुर/बाडमेर ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर/बाडमेर ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धनाउ (बाडमेर) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री हुकम चन्द बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता हॉल मुख्यालय जिला परिषद, उदयपुर ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव